दिनांक 21.09.2017 को कृषि निदेशक, बिहार की अध्यक्षता में किसानों को डी0बी0टी0 के माध्यम से अनुदान देने एवं डी0बी0टी0 के अन्य विषय से संबंधित आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः– संचिका में संधारित।

1. सर्वप्रथम कृषि विभाग के सभी योजनाओं में लाभान्वित कृषकों को अनुदान की राशि डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके बैंक खाता में पहुँचने में हो रहा विलम्ब पर चर्चा हुई।

   उपस्थित जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि अनुदान की राशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से लाभान्वित कृषकों के बैंक खाता में जाता है। लाभान्वितों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा बैंक में कर्मचारियों की संख्या कम रहती है। बैंक कर्मियों को बैंक के कार्य के अतिरिक्त आर0टी0जी0एस0 भी करना होता है। अनुदान की राशि लाभान्वित कृषकों के खाता में पहुँचने में विलम्ब होने का यह एक मुख्य कारण है।

2. <u>कृषि यांत्रिकीकरण योजना</u> :– कृषि यांत्रिकीकरण योजना अन्तर्गत अनुदान भुगतान की पूर्ण प्रक्रिया पर चर्चा की गई। कृषकों द्वारा अनुदान पर कृषि यंत्र क्रय करने हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र जमा करने का प्रावधान है। आवेदन पत्र प्राप्त होने के सात दिनों के अन्दर कृषि समन्वयक द्वारा आवेदन पत्र एवं अन्य संबंधित कागजातों की जॉच कर प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित कर दिया जाता हैं। प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी यह जाँच करते है कि विगत पाँच वर्षो में उक्त किसान के द्वारा कृषि यंत्र अनुदान पर क्रय किया गया है अथवा नहीं। इसके उपरान्त प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी द्वारा 10,000/–रू0 तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों का परमिट अपने स्तर से निर्गत कर संबंधित कृषकों को उपलब्ध कराया जाता हैं। दस हजार रू0 से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के आवेदन पत्रों को प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा सात दिनों के अन्दर जॉच कर जिला कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित कर दिया जाता है। जिला कृषि पदाधिकारी सात दिनों के अन्दर परमिट निर्गत कर संबंधित किसान को उपलब्ध कराते हैं। ऑनलाईन परमिट जेनरेट होते ही संबंधित कृषक एवं संबंधित कृषि यंत्र विक्रेता को स्वतः एक एस0एम0एस0 चला जाता है। इसके बाद किसान कृषि यांत्रिकीकरण मेला में या मेला के बाहर अपनी इच्छानुसार अधिकृत विक्रेता से कृषि यंत्र पूर्ण कीमत पर क्रय करते है। तदोपरान्त विक्रेता द्वारा बेचे गए यंत्र का विवरण कृषि यांत्रिकीकरण सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाता है, जिसका मैसेज संबंधित कृषि समन्वयक को स्वतः चला जाता है। इसके उपरान्त कृषि समन्वयक किसान के घर–घर जाकर कृषि यंत्रों का स्थल जॉच करते है तथा यंत्र एवं कृषक का संयुक्त फोटोग्राफ लेकर सॉफ्टवेयर में अपलोड करते हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कृषि समन्वयक द्वारा किसान से बिल प्राप्त कर सिस्टम में अपलोड किया जाएगा। तदोपरान्त सब्सिडी क्लेम रिपोर्ट जेनरेट होगा। इसके बाद कृषि समन्वयक द्वारा सब्सिडी क्लेम रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ की हार्ड कॉपी जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सब्सिडी क्लेम रिपोर्ट के आधार पर विपत्र तैयार कर कोषागार में पारितार्थ उपस्थापित किया

जाएगा। कोषागार से विपत्र पारित होने के उपरान्त किसान को अनुदान राशि के भुगतान हेतु कागजात संबंधित बैंक को भेजा जाता है। संबंधित बैंक द्वारा इसके बाद अनुदान की राशि को कृषक के बैंक खाता में जमा किया जाता है।

2.2 कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय द्वारा समीक्षा के क्रम में आदेश दिया गया है कि उपर्युक्त प्रक्रिया को अपनाने में शीघ्रता बरती जाय तथा किसान को ऑन लाईन आवेदन पत्र जमा करने के 10 दिनों के अन्दर अनुदान की राशि उनके बैंक खातें में जमा हो जाना चाहिए।

2.3 जिला कृषि पदाधिकारी, बांका द्वारा बताया गया कि बहुत तेजी से कार्य सम्पादित करने के उपरान्त कृषकों के ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने के 15 दिनों के अन्दर कृषकों को अनुदान का भुगतान किया जा सकता है। बैठक मं इस पर सर्वसम्मति से सहमति प्रकट की गई तथा यह निदेश दिया गया कि सभी जिला कृषि पदाधिकारी 15 दिनों के अन्दर अनुदान की राशि डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषक के बैंक खाता में जमा कराना सुनिश्चित करायेंगे।

((अनु0–कंडिका–2.2 से 2.3 सभी जिला कृषि पदाधिकारी))

3. <u>जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम</u> :– निदेश दिया गया कि जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत उपादान वितरण घटक के सभी कार्यक्रमों अन्तर्गत सारी प्रक्रिया पूरी कर अनुदान की राशि 10 दिनों के अन्दर कृषकों के बैंक खाता में डी0बी0टी0 के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

3.2 इस कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण कार्य वाले मद जैसे– पक्का वर्मी वेड, बायोगैस इत्यादि में कृषक का चयन कर उनका आवेदन पत्र जमा करायेंगे। किसान/एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करने एवं उत्पादन शुरू होने के उपरान्त कृषि समन्वयक द्वारा जॉच प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाता है। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा विपत्र तैयार कर कोषागार से राशि की निकासी कर कृषकों को अनुदान की राशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से बैंक खाता में जमा किया जाता है।

निदेश दिया गया कि सभी जिला कृषि पदाधिकारी जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के अन्दर कृषकों के बैंक खाता में अनुदान की राशि जमा कराना सुनिश्चित करायेंगे।

((अनु0–कंडिका 3.1 एवं 3.2– सभी जिला कृषि पदाधिकारी))

4. <u>बीज</u> :– बीज के विभिन्न कार्यक्रमों में उपलब्धि कम होने के कारण विचार–विमर्श के बाद सभी पदाधिकारी का मन्तव्य था कि बीज अनुदान की राशि सीधे बी0आर0बी0एन0 को देकर अनुदानित दर पर बीज कृषकों को उपलब्ध कराया जाय। इस हेतु Kind Subsidy दिया जाय तथा आधार कार्ड से लिंक पी0ओ0एस0 (Point of Sale Device) मशीन को अनिवार्य किया जाय। POS मशीन प्रारम्भ होने के उपरान्त ही अनुदान की इस प्रक्रिया को प्रारम्भ किया जाय।

((अनु0–उप निदेशक, शष्य, बीज))

5. <u>उर्वरक</u> :– उर्वरक सेक्टर में डी0बी0टी0 लागू की जा रही है। इसके अन्तर्गत सभी खुदरा उर्वरक विक्रेता POS मशीन के माध्यम से उर्वरक की बिक्री करेंगे। पूरे राज्य में कुल 24,362 POS मशीन की आवश्यकता के विरूद्ध 18334 POS मशीन उपलब्ध हो चुका है, जिस में लगभग 10,000 मशीन खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को जिला में वितरित किया जा चुका है। अभी तक सीतामढ़ी, शिवहर, नवादा, खगड़िया एवं अरवल में सम्बद्ध आपूर्तिकर्ता द्वारा मशीन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। इस माह के अन्त तक इन जिलों में भी मशीन उपलब्ध करा दी जायेगी। सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब POS मशीन वितरित कराया जाय।

((अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी))

6. <u>केन्द्र प्रायोजित योजना</u> :–

केन्द्र प्रायोजित सभी योजनाओं में कृषकों को डी0बी0टी0 के माध्यम से अनुदान का भुगतान कर प्रतिवेदन भारत सरकार के साइट पर ऑनलाईन फीड किया जाना है। इसे पूरे राज्य में शत–प्रतिशत लागू करने का निदेश दिया गया। इस संबंध में डॉ0 बी0 राजेन्द्र, संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा पूर्व में भी निदेश दिया गया है।

((अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी))

धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

25.9.17

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–31/15– 6067 पटना, दिनांक :– 25-9-17

प्रतिलिपि :– कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बी0आर0बी0एन0, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना/उप निदेशक, प्रशासन, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, कृषि, बिहार के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक(शष्य) पाट, पूर्णिया/संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप–तौल, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/मुख्यालय स्थित सभी उप निदेशक (शष्य) बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, आत्मा/सभी योजना के नोडल पदाधिकारी/सभी जिला के नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25-9-17

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–31/15– 6067 पटना, दिनांक :– 25-9-17

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

25-9-17

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।